न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना
बइजलास – रिछपाल सिंह बुरड़क, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 03/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर जिला नागौर		1.भवंर लाल प्रजापत पुत्र बन्नाराम निवासी वार्ड 20 सहमत नगर, नावां सिंटी, जिला नागौर फर्म प्रजापत मिष्ठान भण्डार,रेल्वे स्टेशन के नावां सिटी।

आदेश

दिनांक :25.01.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी दिनांक 19.09.2020. दौराने गश्त चैकिंग पर **मैसर्स प्रजापत मिष्ठान भण्डार रेल्वे स्टेशन के पास , नावां सिटी परं** पर पहुँचा जहॉ पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला,। उस व्यक्ति को मैनें अपना परिचय दिया, परिचय लिया तथा अपना परिचय पत्र दिखाया। इस समय दूकान पर भवर लाल प्रजापत पुत्र बन्ना राम जाति प्रजापत उपस्थित मिला। जो कि आम जनता को खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन इत्यादि को विकय हेतु रखे पाये उपस्थित व्यक्ति से पूछने पर उक्त दुकान का मालिक स्वयं को होना बताया, विकेता से वास्ते निरीक्षणार्थ अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मांगा गया,जो पत्रावली पर संलग्न है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विकेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया जहॉ पर लगभग 20 किलो गुलाब जामुन (वनस्पती में बने हुए) मूझे इसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के सामने विकेता को प्रपत्र–5 ए देने से पहले विकेता को बता दिया था कि यह गुलाब जामुन (वनस्पती में बने हुए) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहा हूँ। उक्त गुलाब जामुन को अच्छी तरह से हिलामिलाकर में से 2 किलो गुलाब जामुन (वनस्पती में बने हुए) तुलवाकर एक साफ–सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विकेता को रूपये 400/– (अक्षरे चार सौ रू0 मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व विकेता के हस्ताक्षर है। नमूना जॉच पर सीरीयल कोड नं0 **Q-1345** अंकित किया गया उक्त नमूने की जांच **Public Health Laboratory Ajmer,Rajasthan** से करवाई गयी। जिनकी जॉच रिपोर्ट कमांक: **L.S.297/Act/2020/173** दिनांक 22.10.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन (वनस्पती में बने हुए) का नमूना **Sub- Substandard** होना पाया गया । उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त **श्री भवंर लाल प्रजापत पुत्र बन्ना राम प्रजापत** ने एफ.एस.एस.ए.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

2006के नियम एवं विनियम 2011 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) व दण्डनीय धारा 51 का उल्लघन किया है। , जो एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माना से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2.खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक **31.12.22020** को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 08.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब दिनांक **21.01.2021**को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जो शामील मिसल है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि मेरी दूकान से गुलाब जामुन (वनस्पती में बने हुए) का सेम्पल लिया था। जो की बाद जाचॅ अमानक होना पाया गया । मैने गुलाब जामुन बनाने में समस्त शुद्ध सामगी का उपयोग किया है, बावजुद अगर गुलाब जामुन में किसी प्रकार की अमानक होना पाया जाता है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूॅं। निवेदन करता हू कि आगामी समय में कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी।

3.खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अप्रार्थी को सूना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोट संख्या **L.S.297/Act/2020/173** एवं दिनांक 22.10.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन (वनस्पती में बने हुए) का नमूना **Substandard** पाया गया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थ्री द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 का अपराध करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री भवंर लाल प्रजापत पुत्र बन्ना राम प्रजापत निवासी वार्ड नं0 2 सहमत नगर, नावां सिटी जिला नागौर पर रूपये.15000/– अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि मे शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

4. आदेश दिनांक 25.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अखिलेश पाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर,
डीडवाना